लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4853
उत्तर देने की तारीखः 23.07.2019

दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट पहचान पत्र

4853. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015 में घोषित दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र (यूडीआईडी) हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक राज्य–वार कितने कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि निःशक्तजनों को उक्त कार्डों के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विशेषकर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, 7 से 21 के अन्तर्गत दिव्यांगता के प्रकारों में विस्तार के पश्चात् उक्त कार्डों की मांग में वृद्धि हो गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने उक्त कार्डों के लिए आवश्यक संभार सहायता प्रदान कर दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क): 18.07.2019 की स्थिति के अनुसार दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) से यूडीआईडी पोर्टल के अंतर्गत 26,20,980 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख): राज्यवार तैयार किए गए ई–यूडीआईडी कार्डों की संख्या अनुबंध पर दी गई है।

(ग) एवं (घ): यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला/सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों पर कार्रवाई, जांच पडताल की जाती है एवं अनुमोदन दिया जाता है। विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ राज्यों, नामतः असम, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड तथा दिल्ली ने अभी हाल ही में परियोजना को कार्यान्वित करना आरंभ किया है।

(ङ): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत शामिल की गई दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूडीआईडी परियोजना पहले से ही तैयार कर ली गई है। चूंकि यूडीआईडी परियोजना दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है, इसलिए अधिकांश दिव्यांगजन दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवेदन के लिए यूडीआईडी पोर्टल का विकल्प अपनाते हैं।

(च): सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा जनशक्ति सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रचार एवं जागरूकता गतिविधियां कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

(छ): चूंकि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, अतः केन्द्र सरकार जिला/राज्य प्राधिकारियों के साथ लिखित पत्राचार, बैठकों और वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से परियोजना की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अभी हाल ही में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अनुरोध किया है। सचिव (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासकों के साथ मामले पर अनुवर्ती

दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ 'दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट पहचान पत्र' के संबंध में श्री असादुद्दीन ओवैसी तथा श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4853 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

18.07.2019 की स्थिति के अनुसार यूडीआईडी कार्ड की स्थिति		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभी तक तैयार किए गए ई–यूडीआईडी कार्डों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,140
2	आंध्र प्रदेश	1
3	अरूणाचल प्रदेश	175
4	असम	122
5	बिहार	2,113
6	चंडीगढ़	2,361
7	छत्तीसगढ़	1,27,563
8	दादर और नगर हवेली	22
9	दमन और दीव	465
10	दिल्ली	59
11	गोवा	31
12	गुजरात	1,42,008
13	हरियाणा	31,639
14	हिमाचल प्रदेश	6,249
15	जम्मू और कश्मीर	10,724
16	झारखंड	12,132
17	कर्नाटक	4,483
18	केरल	5,970
19	मध्य प्रदेश	3,18,337
20	महाराष्ट्र	1,24,113
21	मणिपुर	2
22	मेघालय	6,363
23	मिजोरम	1,438
24	ओडिशा	2,32,882
25	पुदुचेरी	205
26	पंजाब	61,610
27	राजस्थान	3,09,536
28	सिक्किम	156
29	तमिलनाडु	52,123
30	तेलंगाना	3,02,345
31	त्रिपुरा	1,202
32	उत्तर प्रदेश	2,06,470
33	उत्तराखंड	272
34	पश्चिम बंगाल	4
कुल		**19,65,315**